न्यायालय अति. जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार आर.ए.एस

मुकदमा नम्बर 53/16 तारीख रजू 10.8.2016

1 कजोडमल जांगिड खाद्व सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधियकारी करौली :–आवेदक

बनाम

1 अब्दुल सलीम पुत्र इतवारी मालिक मैसर्स अब्दुल आईस फैक्ट्री खुदा मस्जिद के पास पुराना थाना टोडाभीम साकिन मदन पारीक वाली गली वार्ड नम्बर 6 टोडाभीम जिला करौली – अभियुक्त

<u>जुर्म अंतगर्त धारा 26 की उपधारा (2)(II) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011</u>

<u>निर्णय</u> दिनांक 6.3.2019

संक्षिप्त मे प्रकरण इस प्रकार है कि तात्कालीन खाद्व सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी करौली द्वारा एक प्रकरण अन्तर्गत धारा 26 की उपधरा (2)(II) धारा 54 का उल्लधंन के तहत गैरसायलान (अभियुक्त) के विरूद्व इस न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया है जिसमे गैरसायलान फर्म अब्दुल आईस फैक्ट्री खुदा मस्जिद के पास पुराना थाना टोडाभीम साकिन मदन पारीक वाली गली वार्ड नम्बर 6 टोडाभीम मे चलाता हुआ मिला जिसमे आम जनता के इस्तेमाल के लिऐ आईस्केन्डी विक्रय कर रहा था।श्री अब्दुल सलीम को अपना परिचय देकर परिचय पत्र दिखाया श्री अब्दुल सलीम से फैक्ट्री मालिक के बारे मे जानकारी चाही गई तो उसने अपने आप को फैक्ट्री मालिक बताया इस पर आवेदक ने श्री अब्दुल सलीम से वर्ष 2015 का खाद्व प्रदार्थ अनुज्ञा पत्र दिखाने को कहा तो श्री अब्दुल सलीम ने कहा की खाद्व विक्रय रजिस्ट्रेशन बनवाने हेतु पत्रावली प्रस्तुत कर रखी वर्तमान मे नही है इस कार्यालय द्वारा पत्र क्रमांक एफ.एस.एस/15/39 दिनांक 25.6.2015 मेरे द्वारा फर्म को दिया गया फर्म मे प्रार्थना पत्र के साथ खाद्व रजिस्ट्रेशन नम्बर 222,150,15,000,376 पहचान पत्र की फॉटो प्रति प्रस्तुत की गई। आवेदक खाद्व अधिकारी के निरीक्षण के दौरान आईस फैक्ट्री पर आम जनता कोविक्रय हेतु डीफ्रिज मे करीब 200 आईस केन्डी रखी हुई थी जिसमे से आम जनता को विकी की जा रही थी आईस केन्डी मे मिलावट का अन्देशा होने पर मैने दुकान मालिक यानि गैरसायलान से आईकेन्डी का नमूना लेने को कहा गया एवं शुद्वता की जॉच हेतु लिया गया मालिक द्वारा बताया विक्रय मूल्य 40 आईकेन्डी(प्रति

मे उक्त नमूना आईकैन्डी **Contains Extraneous Matters And Sediments** स्तर का पाया गया है। प्रकरण दर्ज पंजीका कर गैरसायलान को तलब किया गया। जिसमे गैरसायलान स्वयं उपस्थित आया। और जबाव पेश किया गया। अपने जबाव मे किसी प्रकार की कोई मिलावट नही की गई है शुद्व माल का विक्रय करता अप्रार्थी सीधा साधा व्यक्ति है। और अपने परिवार का पालन पोषण करता चला आ रहा है। अन्त मे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया गया है।

अप्रार्थी को सुना गया । दौराने बहस अपने कथन मे कहॉ की आईकैन्डी आम जनता को विक्रय किया गया है। किसी प्रकार की कोई मिलावट नही की गई है। हानिकारक नही है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावे।

हमने अप्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली मे उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन करने पर पाया गया कि आवेदक द्वारा गैरसायल के प्रतिष्ठान से दिनांक 17.5.2015 को आईकैन्डी का नमूना लिया गया था जो खाद्व विश्लेषक अलवर द्वारा इसे आईकैन्डी **Contains Extraneous Matters And Sediments** माना गया है। जिसमे गैरसायल द्वारा इस आईकैन्डी मे कोई मिलावट नही होना बताया है किन्तु खाद्व विशलेषक अलवर राजस्थान से प्राप्त रिपोर्ट एल.एस. /455/एक्ट/2015/459 दिनांक 2.6.2015 से आईकैन्डी **Contains Extraneous Matters And Sediments** किस्म की पाया जाना बताया गया है। और इस जॉच रिपोर्ट की चुनौती देने हेतु आवेदक द्वारा धारा 46(4) के तहत 30 दिवस का समय दिया गया था किन्तु समय अवधि मे अप्रार्थी द्वारा इसको चुनोती नही दी गई है। हम अवेदक के प्रार्थना पत्र से सहमत है। नमूना सबर्स्टर्ण्डस होने पर इसके विरूद्व कार्यवाही किया जाना उचित प्रतित हो रहा है।

अतः आवेदक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अभियुक्त को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम जुर्म अंतगर्त धारा 26 की उपधारा 2(II) एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 धारा 54 के तहत अप्रार्थी को 5100/— रूपये अंकेन पांच हजार सौ रूपये के दण्ड से दण्डित किया जाता है अभियुक्त को निर्देश दिये जाते हैं कि सात दिवस में उक्त राशि न्यायालय में जमा कराई जावे तथा भविष्य मे खाद्य पदार्थ विक्रय करने से पूर्व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के के प्राब्धानो के अनुसार आम जनता को खाद्व पदार्थ का वक्रिय /उपभोग मे लिया जावे। निर्णय की प्रति खाद्व सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी करौली को भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 6.3.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति0जिला कलक्टर
करौली